



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं रेशन न्यायालय परिसर, सीकर
(Phone : 01572-294048 Help Line : 8306002137)
Email : dlsa32sikir@gmail.com, legalaidsikir@gmail.com

क्रमांक : 758

दिनांक : 16/02/2026

:- कार्यालय आदेश :-

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी SOP for Directives for Efficient and Managed Utilization of Para Legal Volunteers for DLSA and TLSCs in Rajasthan 2025 क्रमांक 15539-582 दिनांक 29.11.2025 व माननीय रालसा के पत्र क्रमांक RSLSA/2026/878-921 20812 दिनांक 16.01.2026 के अनुसार व कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक 29 दिनांक 06.01.2026 की निरन्तरता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर तथा तालुका विधिक सेवा समितियों हेतु पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स को माननीय रालसा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर द्वारा निर्देशित कार्यों/कार्यक्रमों के संपादन/निष्पादन हेतु निम्नानुसार पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स को वर्ष 2026 हेतु पैनेल में पूर्णतः तदर्थ आधार पर संयोजित किया जाता है। इस संयोजन से किसी प्रकार की कोई नियुक्ति का आधार सृजित नहीं माना जावेगा।

सीकर मुख्यालय हेतु चयनित अधिकार मित्र

क्रम संख्या	अधिकार मित्र का नाम	पिता/पति का नाम
1.	श्री गिरिराज शर्मा	श्री मोहनलाल भार्मा
2.	श्री उमेश कुमार माथुर	श्री बाबुलाल माथुर
3.	श्रीमती सुनिता	श्री महेश कुमार
4.	श्री ओमप्रकाश पुरोहित	श्री मोहनलाल पुरोहित
5.	श्री चेतन मनोहर	श्री पूर्णमल
6.	सुश्री सुमन कुमारी बरवड़	श्री ख्यालीराम
7.	श्री संदीप	श्री होशियार सिंह
8.	श्री अरविन्द कुमार कुमावत	श्री दिनोद कुमार कुमावत
9.	श्री शिवपाल सिंह	श्री बद्री सिंह शेखावत
10.	श्री शिवम पारीक	श्री अनिल कुमार पारीक
11.	श्री राजेश कुमार वर्मा	श्री पूर्णमल वर्मा
12.	सुश्री निकिता कंवर	श्री रघुवीर सिंह भोखावत
13.	सुश्री कल्पना चौधरी	श्री यतेम सिंह
14.	सुश्री निकिता शेखावत वी	श्री विजय सिंह

तालुका विधिक सेवा समिति, फतेहपुर हेतु चयनित अधिकार मित्र

क्रम संख्या	अधिकार मित्र का नाम	पिता का नाम
1.	श्री भविष्य स्वामी	श्री निरंजन लाल स्वामी
2.	सुश्री अमीषा प्रजापत	श्री प्रेमकुमार प्रजापत
3.	श्री अशोक कुमार	श्री रामबचन

4.	सुश्री आशा	श्री लादूराम
5.	श्रीमती पूजा प्रजापत	श्री जितेन्द्र कुमार

तालुका विधिक सेवा समिति, नीमकाथाना हेतु चयनित अधिकार मित्र

क्रम संख्या	अधिकार मित्र का नाम	पिता/पति का नाम
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी	श्री बचन लाल सैनी
2.	श्री चन्दन करोटवान	श्री सुरेश करोटवान
3.	श्री विकास कुमार	श्री राजेन्द्र प्रसाद
4.	श्री हर्ष कुमार	श्री विजेन्द्र कुमार
5.	सुश्री रितिका कंवर	श्री विजेन्द्र सिंह तंवर

तालुका विधिक सेवा समिति, दांतारामगढ़ हेतु चयनित अधिकार मित्र

क्रम संख्या	अधिकार मित्र का नाम	पिता का नाम
1.	श्री संतोश कुमार धायल	श्री बोदूराम धायल
2.	श्री मुकेश कुमार सैनी	श्री सोहनलाल सैनी
3.	श्री ज्ञाबरमल सेवदा	श्री धूडाराम
4.	श्री मुकेश कुमार वर्मा	श्री गणपत राम वर्मा
5.	श्री रवि कुमार जाटोलिया	श्री बनवारी लाल जाटोलिया
6.	श्री आशीष खेरिया	श्री मोहनलाल खेरिया

तालुका विधिक सेवा समिति, लक्ष्मणगढ़ हेतु चयनित अधिकार मित्र

क्रम संख्या	अधिकार मित्र का नाम	पिता का नाम
1.	श्री मामचंद	श्री सुखदेवाराम
2.	श्रवण कुमार भास्कर	रामलाल सिंह भास्कर
3.	श्री लीलाधर भार्मा	श्री नेमीचंद भार्मा
4.	श्री संदीप मैरी	श्री हणमान सिंह
5.	श्री राकेश कुमार सैनी	श्री चन्द्राराम
6.	श्रीमती ममता मीणा	श्री दारा सिंह मीणा

तालुका विधिक सेवा समिति, श्रीमाधोपुर हेतु चयनित अधिकार मित्र

क्रम संख्या	अधिकार मित्र का नाम	पिता का नाम
1.	श्री राकेश कुमार सैनी	श्री वीरबल सैनी
2.	श्री सुभाष कुमार मीणा	श्री लालचन्द मीणा
3.	श्री तरुण कुमार	श्री पुष्कर सिंह पावण्डा
4.	श्री अमन शर्मा	श्री राजाराम शर्मा
5.	सुश्री नेहा शर्मा	श्री अशोक कुमार शर्मा
6.	श्री सन्तोष कुमार सैनी	श्री रामेश्वर लाल सैनी

तालुका विधिक सेवा समिति, रींगस हेतु चयनित अधिकार मित्र

क्रम संख्या	अधिकार मित्र का नाम	पिता का नाम
1.	श्री रवि कुमार वर्मा	श्री शांति स्वरूप
2.	श्री विकेश शर्मा	श्री महेशचंद्र
3.	श्री कमल कांत मिश्रा	श्री नाथुलाल मिश्रा

नोट:-

1. पीएलवी के पैनल गठन से संबंधित इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी सभी आदेश इस आदेश के लागू होने के साथ ही स्वतः निरस्त हो जाएंगे।
2. यह पैनल 01 वर्ष (दिनांक 31.12.2026) तक क्रियाशील रहेगा परन्तु उक्त पैनल की कालावधि दिनांक 31.12.2026 के पश्चात् नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी। पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स को निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त जाँच के पश्चात् मध्यावधि में भी हटाया जा सकेगा—
 - (क) विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग नहीं देना तथा रूची नहीं रखना।
 - (ख) दिवालिया घोषित हो जाना।
 - (ग) किसी अपराध का अभियुक्त होना।
 - (घ) अधिकार मित्र (पैरा लीगल वॉलेन्टीयर) के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाना।
 - (ङ) राजनैतिक पार्टियों से संबंध रखना।
 - (च) अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग कर चुका हो कि उसका पैरा लीगल वॉलेन्टीयर के रूप में कार्य करना लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हों।
 - (छ) यदि अधिकार मित्र (पैरा लीगल वॉलेन्टीयर) ने अधिवक्ता के रूप में बार में एनरोलमेंट करा दिया हो।
3. यह आदेश दिनांक 16.02.2026 से प्रभावी मान जावेगा।


सचिव,
16/12/26

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सीकर

दिनांक : 16/12/2026

क्रमांक : 759-77

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. माननीय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, सीकर।
4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, फतेहपुर, दांतारामगढ़, लक्ष्मणगढ़, रींगस को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, फतेहपुर, दांतारामगढ़, लक्ष्मणगढ़, रींगस को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित को सूचित करावें।
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का प्रकाशन ई-कोर्ट वेबसाइट पर करावें।
7. संबंधित अधिकार मित्र.....।
8. स्थापना शाखा, कार्यालय हाजा।
9. लेखाशाखा, कार्यालय हाजा।


सचिव,
16/12/26

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सीकर